(पिम नियमावली का अंश)

जल उपभोक्ता समिति द्वारा सिविल कार्य कराने की प्रक्रिया
(अधिनियम की धारा 5(2)(ब) तथा नियमावली की अनुसूची–5 के अन्तर्गत)

पिम मैनुअल के प्रस्तर – 75 से प्रस्तर 90 तक

75. कार्यों की श्रेणीः– अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा कराए जाने वाले कार्यो की श्रेणी निम्नवत् है:–

(1) वार्षिक परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य (प्रत्येक फसल से पूर्व):

(क) सिल्ट सफाई

(ख) जंगली घास हटाना

(ग) बैंक, डौलों, सर्विस रोड की मरम्मत

(ग) गेट व गेज की मरम्मत

(घ) कुलाबों की मरम्मत

(च) अवरोधों को हटाना

(छ) नहर के टूट–फूट को ठीक कराना

(ज) अनाधिकृत कुलाबों को हटाना

(झ) पक्के कार्यों की मरम्मत आदि।

(ट) कमाण्ड क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्य कार्य

(2) विशेष मरम्मत के कार्यः–

(कं) पुनर्स्थापना कार्य

(ख) मापक यंत्रों का पुर्ननिर्माण

(ग) शीर्ष एवं क्रास रेगुलेटर एवं पक्के/चिनाई कार्यों का पुर्ननिर्माण

(घ) नहरों के तटबन्धों (डौला/सर्विस रोड आदि) का सुदृढ़ीकरण

(च) कमाण्ड क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्य कार्य

(3) आकस्मिक कार्यः–

(क) नहर चलने के दौरान नहर कटान (खांदी) की मरम्मत एवं अनाधिकृत बंधों/अवरोधों को हटाना।

(ख) नहर चालू रहने के दौरान अनाधिकृत कुलाबों को हटाना तथा तत्सम्बन्धी मरम्मत;

(ग) गेट तथा इससे सम्बन्धित आकस्मिक मरम्मत।

76. **कार्य की प्रक्रिया**–रजबहा/अल्पिका समिति द्वारा कार्य कराने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगीः–

(1) सहभागी वाक–थ्रू :–अल्पिका एवं रजबहा समिति द्वारा निम्नानुसार वाक–थ्रू किया जाएगाः–

(क) अल्पिका समिति का वाक–थ्रूः–

खरीफ फसल

(i) प्रत्येक खरीफ फसल ऋतु प्रारम्भ होने के पूर्व अल्पिका प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष, प्रबंधन समिति के सदस्यों, उपसमिति के सदस्यों, सक्षम नहर अधिकारी, कुलाबा समितियों के अध्यक्षों द्वारा अल्पिका पर सहभागी वाक–थ्रू किया जाएगा। इस वाक–थ्रू का आयोजन अल्पिका प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा वाक–थ्रू के दौरान प्राक्कलन तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रस्तावित कार्यों की माप (अनुमानित मात्रा, चेनेज आदि) की जाएगी;

(ii) खरीफ फसल ऋतु का वाक–थ्रू 15 मार्च से 15 अप्रैल के मध्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। वाक–थ्रू में कतिपय कारणों से सक्षम नहर अधिकारी के उपस्थित न हो पाने की स्थिति में उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। वाक–थ्रू की रिपोर्ट **परिशिष्ट–30** पर दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार की जाएगी।

रबी फसल

(iii) प्रत्येक रबी फसल ऋतु के प्रारम्भ होने के पूर्व अल्पिका प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष, प्रबंधन समिति के सदस्यों, उपसमिति के सदस्यों, सक्षम नहर अधिकारी, कुलाबा समितियों के अध्यक्षों द्वारा अल्पिका पर सहभागी वाकथ्रू आयोजित किया जाएगा और प्राक्कलन तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रस्तावित कार्यों की माप की जाएगी;

(iv) रबी फसल ऋतु का वाक–थ्रू 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर के मध्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। वाक–थ्रू में कतिपय कारणों से सक्षम नहर

अधिकारी के उपस्थित न हो पाने की स्थिति में उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। वाक–थ्रू की रिपोर्ट **(परिशिष्ट–30)** पर तैयार की जाएगी।

(ख) रजबहा समिति का वाक–थ्रूः–

खरीफ फसल

(i) प्रत्येक खरीफ फसल ऋतु के प्रारम्भ होने के पूर्व रजबहा प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष, प्रबन्धन समिति के सदस्यों, सक्षम नहर अधिकारी तथा अल्पिका समितियों के अध्यक्षों द्वारा रजबहा पर सहभागी वाक–थ्रू का आयोजन किया जाएगा। इस वाक–थ्रू का आयोजन रजबहा समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा वाक–थ्रू के दौरान प्राक्कलन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु प्रस्तावित कार्यों की माप (अनुमानित मात्रा, चेनेज आदि) की जाएगी;

(ii) खरीफ फसल ऋतु का वाक–थ्रू 15 मार्च से 15 अप्रैल के मध्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। वाक–थ्रू में कतिपय कारणों से सक्षम नहर अधिकारी के उपस्थित न हो पाने की स्थिति में उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। वाक–थ्रू की रिपोर्ट **परिशिष्ट–30** पर दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार की जाएगी।

रबी फसल

(i) प्रत्येक रबी फसल ऋतु के प्रारम्भ होने के पूर्व रजबहा प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष, प्रबन्धन समिति के सदस्यों, सक्षम नहर अधिकारी तथा अल्पिका समितियों के अध्यक्षों द्वारा रजबहा पर सहभागी वाक–थ्रू का आयोजन किया जाएगा और प्राक्कलन तथा अन्य प्रयोजनों हेतु प्रस्तावित कार्यों की माप की जाएगी;

(ii) रबी फसल ऋतु का वाक–थ्रू 15 सितम्बर से 15 नवम्बर के मध्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। वाक–थ्रू में कतिपय कारणों से सक्षम नहर अधिकारी के उपस्थित न हो पाने की स्थिति में उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। वाक–थ्रू की रिपोर्ट **परिशिष्ट–30** पर दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार की जाएगी।

(ग) **सहभागी वाक–थ्रू हेतु निर्देशन** :–सक्षम नहर अधिकारी प्रत्येक फसल ऋतु प्रारम्भ होने के पूर्व अग्रिम रूप में यथास्थिति रजबहा/अल्पिका समितियों को सहभागी वाक–थ्रू करने हेतु सूचित/निर्देशित करेंगे।

(घ) **सहभागी वाक–थ्रू कार्यक्रम** :–खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा अधिशासी अभियन्ता की सहमति से रबी फसल का सहभागी वाक–थ्रू कार्यक्रम 1 सितम्बर तक तथा खरीफ फसल का सहभागी वाक–थ्रू कार्यक्रम 5 मार्च तक जारी किया जाएगा। पिम प्रकोष्ठ द्वारा जारी सहभागी वाक–थ्रू कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक सक्षम नहर अधिकारी वाक–थ्रू सम्पन्न करवाएगा। वाक–थ्रू कार्यक्रम निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट–30क** पर जारी किया जाएगा।

(2) कार्यों की प्राथमिकता निर्धारणः

(i) जल उपभोक्ता समिति वाक–थ्रू के दौरान कार्यों को चिन्हांकित कर विस्तृत सूची तैयार करेगी। इस कार्य में सक्षम नहर अधिकारी समितियों की पूर्ण सहायता करेंगे;

(ii) जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति इस प्रकार किये गये सूचीबद्ध कार्यों पर विचार करेगी और तत्काल किये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करेगी। वाक–थ्रू में चिन्हांकित कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण **परिशिष्ट–30** पर दिए गए प्रारूप के कॉलम–12 पर अंकित किया जाएगा।

(3) प्राक्कलनों की तैयारी :

अल्पिका/रजबहा समिति तथा उनकी निर्माण उप समिति सिंचाई विभाग के खण्ड में प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार कार्यों का प्राक्कलन तैयार करेंगी। अल्पिका/रजबहा समितियों का प्राक्कलन रजबहा समिति स्तर पर नियुक्त अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा। अभियन्ता के अभाव में इस निमित्त सक्षम नहर अधिकारी अथवा किसी अन्य तकनीकी व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है। प्राक्कलन **परिशिष्ट–30, 31, 32, 33 एवं 34** पर दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाएगा। समिति द्वारा अनुरोध किये जाने पर सक्षम नहर अधिकारी सम्बन्धित अवर अभियन्ता को प्राक्कलन तैयार करने हेतु निर्देशित करेगा। अवर अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह उक्त प्राक्कलन तैयार करे। जल उपभोक्ता समितियों को प्राक्कलन तैयार करने में सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रारूप

प्राक्कलन के साथ यथा आवश्यक दिशा–निर्देश सक्षम नहर अधिकारी द्वारा हिन्दी भाषा में निर्गत किया जाएगा।

(4) प्रशासनिक अनुमोदनः–

(क) यथास्थिति अल्पिका अथवा रजबहा समिति की निर्माण उपसमिति द्वारा नहरों के अनुरक्षण हेतु किये गये वाक–थ्रू में चिन्हांकित कार्यों एवं उन पर आने वाले व्यय का विवरण **परिशिष्ट–32** पर दिए गए प्रारूप पर तैयार कर यथास्थिति अल्पिका अथवा रजबहा की प्रबंधन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) प्रबंधन समिति द्वारा धन की उपलब्धता के दृष्टिगत प्रस्तावित कार्यों में से कराये जाने वाले कार्यों पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा एवं तद्नुसार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(ग) प्रशासनिक अनुमोदन का विवरण समिति द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन पंजिका **(परिशिष्ट–35)** में अंकित किया जाएगा।

(5) तकनीकी अनुमोदन :–अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा तैयार प्राक्कलनों का अनुमोदन निम्नानुसार किया जाएगाः–

(क) उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–36 (1) के अनुसार अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलनों का तकनीकी अनुमोदन सक्षम नहर अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार प्रदान किया जाएगाः–

(i) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा प्रस्तुत किसी कुलाबा के फील्ड गूल, फील्ड ड्रेन एवं इनसे सम्बन्धित संरचनाओं के रू0 25,000/– तक की सीमा के प्राक्कलन एवं ड्राइंग का तकनीकी अनुमोदन सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ii) अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा प्रस्तुत रू0 10 लाख तक के कार्यों के प्राक्कलन एवं ड्राइंग का तकनीकी अनुमोदन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(iii) अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा प्रस्तुत रू0 10 लाख से अधिक के कार्यों के प्राक्कलन एवं ड्राइंग का तकनीकी अनुमोदन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ख) अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा अल्पिका/रजबहा समितियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों की तिथि से अधिकतम 15 दिवस में तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। तकनीकी अनुमोदन की धनराशि प्रशासनिक अनुमोदन की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(ग) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा अपने कार्यालय में एक तकनीकी अनुमोदन पंजिका **परिशिष्ट–36** के प्रारूप पर अनुरक्षित की जाएगी। अल्पिका/रजबहा समिति के प्राक्कलनों को प्रदान किये गये तकनीकी अनुमोदन का विवरण यथास्थिति तकनीकी अनुमोदन पंजिका में अंकित किया जाएगा।

(6) तकनीकी अनुमोदन की प्रक्रिया :–

जल उपभोक्ता समिति द्वारा प्रेषित प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

(क) जल उपभोक्ता समिति द्वारा कराएं जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर खण्डीय पिम प्रकोष्ठ को दो प्रतियों में प्रेषित किया जाएगा।

(ख) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ जल उपभोक्ता समितियों द्वारा प्रेषित प्राक्कलन पर सक्षम नहर अधिकारी का तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन प्रेषण की तिथि से अधिकतम 15 दिनों में प्राप्त करेगा। सक्षम नहर अधिकारियों से प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने में खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :–

(i) अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा फील्ड गूल, निकास नाली एवं इससे सम्बन्धित संरचनाओं के रू0 पच्चीस हजार तक के प्राक्कलन को खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। अवर अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि खण्डीय पिम प्रकोष्ठ से प्राप्त उक्त प्राक्कलन का परीक्षण कर तकनीकी अनुमोदन प्रदान करे तथा अनुमोदित प्राक्कलन की दोनों प्रतियाँ खण्डीय पिम प्रकोष्ठ को प्राक्कलन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराए।

(ii) अल्पिका/रजबहा समिति से फील्ड गूल, निकास नाली एवं उसकी अधिकारिता के समस्त सिविल कार्यों से सम्बन्धित रू0 10 लाख तक के प्राप्त प्राक्कलन को खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक

अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन का परीक्षण अवर अभियन्ता से कराकर अधिकतम 10 दिनों में तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। सहायक अभियन्ता प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर प्राक्कलन की दोनों प्रतियाँ खण्डीय पिम प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेगा।

(iii) अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा फील्ड गूल, निकास नाली एवं उसकी अधिकारिता के समस्त सिविल कार्यों से सम्बन्धित रू0 10 लाख से अधिक के प्राक्कलन को खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (अभियन्ताओं) को संदर्भित किया जाएगा। सहायक अभियन्ता (अभियन्ताओं) का यह दायित्व होगा कि अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त प्राक्कलन पर अपनी संस्तुति अधिकतम 07 दिनों में उपलब्ध कराएं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर खण्डीय पिम प्रकोष्ठ को अधिकतम 15 दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(iv) यदि कोई प्राक्कलन एक से अधिक सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के कार्यक्षेत्र में आता है तो अधिकतम कार्यक्षेत्र वाले सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा अन्य सहायक अभियन्ताओं की संस्तुति के पश्चात् प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। इस कार्य को समय–सीमा मे पूर्ण करने हेतु पिम प्रकोष्ठ में बैठक आहूत कर कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।

(v) प्राक्कलन में अंकित प्रस्तावित कार्यों की माप का न्यूनतम 20 प्रतिशत सत्यापन वाक–थ्रू के समय उपस्थित सक्षम नहर अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

(ग) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन की एक प्रति खण्डीय पिम प्रकोष्ठ में सुरक्षित रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण स्वीकृत प्राक्कलन पंजिका में अंकित किया जाएगा। सक्षम नहर अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के साथ प्राक्कलन में उल्लिखित कार्यों से सम्बन्धित विशिष्टियों तथा चेक लिस्ट एवं संक्षिप्त नोट (कार्यों का विवरण, मजदूरों की संख्या, सामग्री की मात्रा आदि) भी हिन्दी भाषा में जल उपभोक्ता समिति को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जल

उपभोक्ता समितियों को कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त हो सके।

(7) तकनीकी स्वीकृति की वैधता :–

किसी वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले अनुरक्षण से सम्बन्धित किसी प्राक्कलन पर प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति की वैधता वही वित्तीय वर्ष होगी जिस वित्तीय वर्ष के अन्दर कार्य कराया जाना है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व यदि अनुरक्षण कार्य नही कराया गया है तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात् उस कार्य का नया प्राक्कलन तैयार किया जाएगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। कार्य नये प्राक्कलन के आधार पर कराया जाएगा।

77. कार्य कराने का माध्यमः–

उपरोक्त प्रस्तर–76 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् कार्यों को यथास्थिति अल्पिका अथवा रजबहा समिति द्वारा सिंचाई विभाग की विशिष्टियों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। कार्य मस्टर रोल, ऐच्छिक श्रम, कार्यादेश अथवा अनुबन्ध के माध्यम से कराया जा सकता है। मस्टर रोल, कार्यादेश अथवा अनुबन्ध से कार्य कराने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(1) मस्टर रोल द्वारा कार्य कराया जाना :–अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा मस्टर रोल के माध्यम से कार्य कराए जाने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः–

(क) अधिशासी अभियन्ता द्वारा मस्टर रोल पुस्तिका प्रत्येक अल्पिका/रजबहा समिति को उपलब्ध करायी जाएगी। पुस्तिका में मस्टर रोल की 100 प्रतियाँ होंगी। किसी खण्ड द्वारा निर्गत की जाने वाली मस्टर रोल पुस्तिकाओं पर पुस्तिका संख्या बढ़ते हुए क्रम में मुद्रित होगी। पुस्तिका के पृष्ठों पर पुस्तिका संख्या तथा संख्या के बढ़ते हुए क्रम में पृष्ठ संख्या मुद्रित होगी। उदाहरणार्थ–प्रथम पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की संख्या 1 तथा अन्तिम पृष्ठ की संख्या 100 होगी। द्वितीय पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की संख्या 101 तथा अन्तिम पृष्ठ की संख्या 200 होगी। इसी क्रम में अन्य पुस्तिकाओं के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या मुद्रित होगी। मस्टर रोल खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। जल उपभोक्ता समिति को खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल मस्टर रोल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मस्टर रोल उपलब्ध कराने में अकारण विलम्ब एवं

तत्परिणाम कार्य में विलम्ब से हुई क्षति की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता की होगी।

(ख) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा मस्टर रोल पुस्तिका निर्गत किया जाएगा। इस हेतु एक पंजिका अनुरक्षित की जाएगी जिसमें निर्गत की गयी मस्टर रोल पुस्तिका का विवरण अंकित रहेगा। मस्टर रोल का प्रारूप **परिशिष्ट–37** के अनुसार तथा मस्टर रोल पंजिका का प्रारूप **परिशिष्ट–38** के अनुसार होगा।

(ग) अल्पिका/रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा मजदूरों को कार्य पर लगाने एवं नियत कार्य कराने हेतु मेटों का निर्धारण किया जाएगा। कुलाबा/अल्पिका/रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्य भी मेट का कार्य कर सकते हैं। सामान्यतः 20 मजदूरों पर 01 मेट की नियुक्ति की जा सकती है। मेट को प्रतिदिन एक मजदूर के तुल्य धनराशि मानदेय के रूप में देय होगी।

(घ) मेट द्वारा कार्य पर मजदूरों की उपस्थिति का अंकन मस्टर रोल में कर हस्ताक्षर किया जाएगा। मजदूरों की उपस्थिति एवं नियत कार्य कराने का उत्तरदायित्व मेट का होगा।

(च) समय–समय पर प्रबन्धन समिति के सदस्य अथवा सक्षम नहर अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित कर्मी द्वारा यथासम्भव कार्य के निरीक्षण के दौरान उपस्थिति श्रमिकों की संख्या भी सत्यापित की जाएगी।

(छ) कार्य की मात्रा का न्यूनतम 10 प्रतिशत सत्यापन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन माप–पुस्तिका के प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर कर दिया जाए अन्यथा की स्थिति में कार्य का सत्यापन मान लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सक्षम नहर अधिकारी आवश्यक समझें तो अपने अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को नामित कर सत्यापन करा सकते हैं। नामित कर्मी द्वारा 15 दिन में सत्यापन न किए जाने पर नामित कर्मी द्वारा सत्यापन मान लिया जाएगा।

(ज) कार्य के भुगतान हेतु भुगतान आदेश समिति के अध्यक्ष द्वारा पारित किए जाने के बाद कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। कैश के रूप में भुगतान किए जाने की

स्थिति में वास्तविक श्रमिक का सत्यापन मेट द्वारा किया जाएगा। भुगतान के पश्चात् मस्टर रोल की छायाप्रति खण्डीय पिम प्रकोष्ठ में जमा की जाएगी।

(2) **कार्यादेश द्वारा कार्य कराया जाना :–**कार्यादेश द्वारा कार्य कराए जाने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

(क) अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यादेश पुस्तिका प्रत्येक अल्पिका/रजबहा समिति को खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। पुस्तिका में कार्यादेश की 50 प्रतियाँ होंगी। किसी खण्ड द्वारा निर्गत की जाने वाली कार्यादेश पुस्तिकाओं पर पुस्तिका संख्या बढ़ते हुए क्रम में मुद्रित होगी। पुस्तिका में प्रत्येक कार्यादेश की 04 प्रतियाँ संलग्न होंगी जिसमें 03 प्रतियाँ छिद्रित होगी तथा एक प्रति छिद्रित नहीं होगी जो प्रति छिद्रित नहीं होगी उसको मूल प्रति कहा जाएगा तथा इसे पुस्तिका से अलग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश पर कार्यादेश पुस्तिका संख्या तथा संख्या के बढ़ते हुए क्रम में कार्यादेश संख्या मुद्रित होगी। उदाहरणार्थ–प्रथम पुस्तिका के प्रथम कार्यादेश की संख्या 1/1 तथा अन्तिम कार्यादेश की संख्या 50/1 होगी। द्वितीय पुस्तिका के प्रथम कार्यादेश की संख्या 1/2 तथा अन्तिम कार्यादेश की संख्या 50/2 होगी। कार्यादेश की सभी चारों प्रतियों पर संख्या एक ही होगी।

(ख) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा कार्यादेश पुस्तिका निर्गत करने की एक पंजिका अनुरक्षित की जाएगी जिसमें निर्गत की गई कार्यादेश पुस्तिकाओं का विवरण अंकित किया जाएगा। पंजिका का प्रारूप **परिशिष्ट–39** के अनुसार होगा।

(ग) कार्यादेश का प्रारूप एवं कार्य की शर्तें **परिशिष्ट–40** के अनुसार होंगी।

(घ) जल उपभोक्ता समिति द्वारा कार्य सम्पादन हेतु निर्गत प्रत्येक कार्यादेश के साथ भारतीय स्टाम्प अधिनियम में निर्धारित धनराशि का स्टाम्प पेपर संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्टाम्प पेपर का क्रय ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

(च) कार्यादेश के माध्यम से किसी ठेकेदार को कार्य देने में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगीः–

(i) प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निर्माण उप समिति के अध्यक्ष द्वारा अल्पिका/रजबहा समिति के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से न्यूनतम 03 कोटेशन प्राप्त किए जाएंगे। कोटेशन प्राप्त करने हेतु कोटेशन नोटिस खण्डीय कार्यालय एवं विकास खण्ड कार्यालय पर चस्पा की जाएगी।

(ii) प्राप्त कोटेशनों को रजबहा/अल्पिका समिति के सचिव एवं अध्यक्ष निर्माण कार्य उप समिति की समिति द्वारा खोला जाएगा तथा उसका तुलनात्मक विवरण **परिशिष्ट–41** पर अध्यक्ष, निर्माण कार्य उप समिति/नियुक्त अभियन्ता/नियुक्त लेखाकार द्वारा तैयार किया जाएगा। कोटेशन एवं उससे संबंधित समस्त अभिलेखों पर निर्माण कार्य उप समिति के अन्य दोनों सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित किया जाएगा।

(iii) कार्य उस ठेकेदार को आवंटित किया जाएगा जिसके कोटेशन की दर न्यूनतम हो तथा दर स्वीकृत प्राक्कलन की दर से अनधिक हो।

(छ) किसी ठेकेदार के पक्ष में निर्गत कार्यादेश की एक प्रति अल्पिका/रजबहा समिति की निर्माण कार्य उप समिति के पास रहेगी, एक प्रति सक्षम नहर अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी, एक प्रति ठेकेदार को दी जाएगी तथा एक प्रति (जो छिद्रित नहीं है) अल्पिका/रजबहा समिति के कोषाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगी। पुस्तिका के समस्त कार्यादेशों का उपयोग होने के पश्चात् कोषाध्यक्ष द्वारा पुस्तिका (जिससे मूल प्रति संलग्न होगी) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ को वापस कर दी जाएगी।

(ज) किसी एक समय पर किसी एक प्रवृत्ति के कार्य से सम्बन्धित निरन्तर रीच में एक से अधिक कार्यादेश किसी एक ठेकेदार के पक्ष में निर्गत नहीं किया जाएगा, परन्तु किसी कार्य के विभिन्न भाग, जो विभिन्न स्थानों पर हों तथा एक दूसरे से संस्पर्शी न हो, से सम्बन्धित एक से अधिक कार्यादेश किसी एक ठेकेदार को दिए जा सकते हैं। जैसे–किसी एक नहर के विभिन्न रीच (जो आपस मे संस्पर्शी न हो) में कराए जाने वाले मिट्टी के कार्य अथवा सिल्ट सफाई के कार्य का कार्यादेश किसी एक ही ठेकेदार को दिए जा सकते हैं, परन्तु प्रयास यह किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में कार्यादेश भिन्न–भिन्न ठेकेदारों को निर्गत किया जाए।

(झ) अल्पिका समिति द्वारा अधिकतम रू0 25 हजार तक के किसी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया जा सकता है।

(ट) रजबहा समिति द्वारा अधिकतम रू0 50 हजार तक के किसी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया जा सकता है।

(ठ) कुलाबा/अल्पिका/रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी अथवा उनके परिवारीजन के पक्ष में कोई कार्यादेश निर्गत नहीं किया जाएगा।

(ढ) निष्पादित कार्यों की लागत प्राक्कलित लागत से अधिक नहीं होगी।

(3) अनुबन्ध द्वारा कार्य कराया जानाः– अनुबन्ध के द्वारा कार्य कराने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

(क) निविदा तैयार करनाः–निर्माण कार्य उप समिति के अध्यक्ष द्वारा अल्पिका/रजबहा समिति के अध्यक्ष की तरफ से निविदा के प्रकाशन हेतु निविदा सूचना तैयार की जाएगी। प्रकाशित की जाने वाली निविदा सूचना का **प्रारूप परिशिष्ट–42** के अनुसार होगा।

नोट–निविदा तैयार करने में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा समिति को सहायता प्रदान की जाएगी।

(ख) निविदा का प्रकाशनः–निविदा के प्रकाशन में निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगीः–

- रू0 2 लाख तक की निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों में किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्य का प्रकाशन खण्डीय कार्यालय, अल्पिका/रजबहा समिति के कार्यालय एवं विकास खण्ड कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर किया जाएगा तथा एक प्रति सक्षम नहर अधिकारी को प्रेषित की जाएगी;
- रू0 2 लाख से 10 लाख तक की निविदा का प्रकाशन न्यूनतम दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाएगा।
- रू0 10 लाख से अधिक की निविदा का प्रकाशन न्यूनतम तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

(ग) निविदा शुल्कः–निविदा शुल्क निम्नवत् होगाः–

क्र0सं0	कार्य की लागत	निविदा शुल्क
1.	रू0 2 लाख तक	रू0 500+अनुमन्य टैक्स
2.	रू0 2 लाख से 10 लाख तक	रू0 1000+ अनुमन्य टैक्स
3.	रू0 10 लाख से अधिक	रू0 5000+ अनुमन्य टैक्स

नोटः–प्राप्त निविदा शुल्क समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संचालित समिति के खाते में जमा किया जाएगा।

(घ) निविदा की बिक्रीः–

निविदा प्रकाशन की तिथि से निविदा बिक्री की अंतिम तिथि 30 दिन से कम नही रखी जाएगी। निविदा की बिक्री अल्पिका/रजबहा समिति के कोषाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत समिति के किसी सदस्य/कर्मचारी द्वारा की जाएगी। निविदा अभिलेख निविदा के साथ दिया जाएगा जिसमें निम्नलिखित अभिलेख होंगे–

- मात्रा की अनुसूची **(परिशिष्ट–44)**
- कार्य की सामान्य शर्तें **(परिशिष्ट–43)**
- कार्य की विशेष शर्तें
- कार्य की विशिष्टियाँ
- कार्य की ड्राइंग

समिति के अध्यक्ष द्वारा निविदा की बिक्री सक्षम नहर अधिकारी की सहायता से खण्डीय कार्यालय पर भी करायी जाएगी परन्तु खण्डीय कार्यालय निविदा बिक्री से प्राप्त धनराशि समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संचालित खाते में जमा कर दी जाएगी।

(च) निविदा का जमा किया जानाः–ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा निविदा यथास्थित खण्डीय कार्यालय अथवा समिति के कार्यालय अथवा प्रकाशित निविदा में नियत स्थान व समय पर जमा की जाएगी। ठेकेदार द्वारा निविदा पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है परन्तु शर्त होगी कि पंजीकृत डाक प्रकाशित निविदा में नियत स्थान व तिथि तक प्राप्त हो जाए। निविदा के साथ सत्यकार राशि दिया जाना अनिवार्य होगा।

(छ) निविदा का खोलनाः–निविदा के खोलने की कार्यवाही निम्नलिखित समिति द्वारा की जाएगीः–

क्र0सं0	धनराशि की सीमा	समिति के सदस्य
1.	रू0 10 लाख तक	समिति के सचिव एवं अध्यक्ष, निर्माण कार्य उप समिति का अध्यक्ष तथा सक्षम नहर अधिकारी अथवा उसका

		प्रतिनिधि
2.	रू0 10 लाख से अधिक	समिति के प्रबन्धन समिति के समस्त सदस्य एवं सक्षम नहर अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि

नोटः—निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों को सूचना के उपरान्त निविदा खोलते समय उपस्थित न रहने की स्थिति में निविदा खोलने की कार्यवाही बाधित नहीं होगी। निविदा खोले जाने के समय सम्बन्धित ठेकेदार उपस्थित रह सकते हैं। निविदाओं की वैधता का निर्धारण निविदा समिति द्वारा निविदा की शर्तों के आधार पर किया जाएगा।

(ज) निविदाओं का तुलनात्मक विवरण तैयार करनाः—वैध निविदाओं का तुलनात्मक विवरण, निर्माण उप समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार किया/करवाया जाएगा। तुलनात्मक विवरण **परिशिष्ट—41** के प्रारूप पर तैयार किया जाएगा। निविदा समिति के सदस्य एवं उपस्थित ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा नाम तथा पदनाम सहित तुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर किया जाएगा तथा निविदाओं पर समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(झ) कार्य का आवंटनः—निविदाओं के तुलनात्मक विवरण के आधार पर निविदा खोलने की गठित समिति द्वारा उस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की जाएगी जिसकी दरें न्यूनतम होंगी। निविदा स्वीकृत होने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को समिति के सचिव द्वारा निविदा खुलने की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से दी जाएगी जिसकी एक प्रति सक्षम नहर अधिकारी को भी दी जाएगी। यदि निविदा स्वीकृत की सूचना पत्र में निर्धारित समय के अन्दर ठेकेदार अनुबन्ध गठन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो दूसरे न्यूनतम ठेकेदार की निविदा पर विचार किया जाएगा परन्तु शर्त यह होगी कि उसके द्वारा दी गई लागत स्वीकृत लागत से अनधिक हो।

(ट) अनुबन्ध का गठन :—जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी है उसके साथ अनुबन्ध का गठन रू0 100 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा। अनुबन्ध गठन में निम्नलिखित अभिलेख सम्मिलित होंगेः—

(i) अभिलेख सूची;

(ii) समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचना अथवा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई निविदा सूचना की प्रति;

(iii) स्वीकृत निविदा (समस्त निविदा अभिलेखों के साथ) ;

(iv) निविदा स्वीकृति का पत्र;

(v) कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि;

(vi) अन्य अभिलेख जैसाकि सक्षम नहर अधिकारी निर्धारित करें।

नोटः—खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा अनुबन्ध के सार की एक प्रति तैयार कर खण्डीय पिम प्रकोष्ठ में सुरक्षित रखी जाएगी तथा इसी सूचना सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को दी जाएगी।

(ठ) सत्यकार राशि एवं सिक्योरिटी डिपॉजिटः—

(i) सत्यकार राशि, निविदा राशि की 2 प्रतिशत अथवा रू0 500/— में जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी। यह राशि समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के नाम बन्धक होगी।

(ii) जिन ठेकेदारों की निविदायें स्वीकृत नहीं होंगी उन ठेकेदारों की सत्यकार राशि निविदा अस्वीकृति की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अन्दर वापस कर दी जाएगी।

(iii) सिक्योरिटी डिपॉजिट की धनराशि निविदा राशि की न्यूनतम 10 प्रतिशत होगी। यह राशि FDR, NSC, TDR, DDR अथवा बैंक गारन्टी हो सकती है, जो समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के नाम बन्धक होगी। उक्त वित्तीय पत्र की मूल प्रति सक्षम नहर अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी।

(iv) जिस ठेकेदार के साथ अनुबन्ध का गठन किया जाना है उसकी सत्यकार राशि को security deposite की राशि में समायोजित किया जा सकता है।

(ड) कार्यों का प्रकाशनः

सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों की सूची, सम्पादन करने वाले ठेकेदार/संस्था का नाम, कार्य की लागत, कार्य के प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि आदि का व्यापक रूप से प्रचार कार्यस्थल तथा जल उपभोक्ता समिति के कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके किया जाएगा।

(ढ़) कार्यों का सम्पादनः

कार्यों का सम्पादन निर्माण उप समिति/नियुक्त अभियन्ता द्वारा कराया जाएगा।

78. कार्यों का मापनः—

(1) कार्यों की मात्रा का मापन एवं अभिलेखन निर्माण कार्य उप समिति/नियुक्त अभियन्ता द्वारा किया जाएगा।

(2) यदि जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि प्रबन्धन समिति मापन करने में अक्षम है तो ऐसी दशा में सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अवर अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह जल उपभोक्ता समिति की तरफ से मापन एवं उसका अभिलेखन करे तथा समिति को मापन कार्य में सक्षम भी बनाए।

(3) निर्माण कार्य उपसमिति द्वारा अभिलिखित किये गये मापन का अनुमोदन जल उपभोक्ता समितियों की प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा और सक्षम नहर अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत मापन का सत्यापन प्रस्तुतिकरण के दिनांक से 15 दिवस के अन्तर्गत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि वह चाहे तो अपने अधीनस्थ अभियन्ताओं से भी सत्यापन उक्त अवधि के अन्दर करवा सकता है। सक्षम नहर अधिकारियों के अधीनस्थ अभियन्ताओं द्वारा मापन के सत्यापन का प्रतिशत सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(5) सक्षम नहर अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ अभियन्ताओं द्वारा 15 दिवस के अन्दर कार्य के मापन का सत्यापन न किये जाने की दशा में यह माना जाएगा कि मापन सक्षम नहर अधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ अभियन्ताओं द्वारा सत्यापित कर दिया गया है। इस प्रकार सत्यापित मापन के पश्चात् जल उपभोक्ता समिति द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

(6) मापन हेतु माप पुस्तिका खण्डीय अधिकारी द्वारा खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के माध्यम से निर्गत की जाएगी। निर्गत की गयी समस्त माप पुस्तिकाओं का विवरण खण्डीय पिम प्रकोष्ठ में एक पंजिका में अनुरक्षित रखा जाएगा। पंजिका में माप पुस्तिका की संख्या, पेज संख्या, निर्गत तिथि आदि को अंकित किया जाएगा। जिसका प्रारूप **परिशिष्ट–45** के अनुसार होगा।

(7) माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित अल्पिका अथवा रजबहा समिति के सचिव के नियंत्रण में रहेगी।

(8) सम्प्रेक्षण हो जाने के पश्चात् पूर्ण हो चुकी माप पुस्तिकाएं सचिव द्वारा खण्डीय पिम प्रकोष्ठ में सुरक्षित रखने हेतु जमा कर दी जाएगी।

(9) माप पुस्तिका में माप अंकित करने की विधि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के पैरा–435 में दिए गए प्रविधान के अनुसार होगी। सक्षम नहर अधिकारी द्वारा माप अंकित करने की विधि हिन्दी में तैयार कर जल उपभोक्ता समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।

79. कार्यों का भुगतान :–

(1) बीजक बनानाः–कराए गए कार्यो के भुगतान हेतु बीजक निम्नानुसार तैयार किया जाएगाः–

- कार्यदेश अथवा अनुबन्ध के माध्यम से कराए गए कार्य के चालू भुगतान हेतु बीजक **परिशिष्ट–46** के अनुसार तथा अन्तिम भुगतान हेतु बीजक **परिशिष्ट–47** के अनुसार तैयार किया जाएगा। बीजक जल उपभोक्ता समिति की वित्तीय प्रबन्धन उप समिति/नियुक्त लेखाकार अथवा ठेकेदार द्वारा तैयार किया जा सकता है। जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा बीजक तैयार करने में अक्षमता का प्रस्ताव पारित किए जाने के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी के कार्यालय का यह दायित्व होगा कि वह जल उपभोक्ता समिति की तरफ से बीजक तैयार करे।

(2) चालू भुगतानः– सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कार्यों का सत्यापन करने/कराने तथा माप का प्रस्तर–78(4) में निर्धारित प्रतिशत सत्यापित किए जाने के उपरान्त जल उपभोक्ता समिति द्वारा चालू भुगतान किया जा सकता है। भुगतान हेतु बीजक का सत्यापन निर्माण कार्य उप समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा बीजक को भुगतान हेतु अल्पिका/रजबहा समिति के अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाएगा। पूर्ण किए गए कार्य का अधिकतम 70 प्रतिशत भुगतान चालू भुगतान द्वारा किया जा सकता है।

(3) अन्तिम भुगतानः– अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा कार्य का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगीः–

- अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा सामान्य सभा की बैठक आहूत की जाएगी। बैठक में निर्माण कार्य उप समिति/नियुक्त अभियन्ता एवं लेखाकार द्वारा कार्य का विवरण तथा उस पर व्यय, कार्य की मात्रा, कार्य की गुणवत्ता आदि के संबंध में आख्या **(परिशिष्ट–47क)** प्रस्तुत की जाएगी। सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कार्य की गुणवत्ता आदि से सम्बन्धित अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत की जाएगी;
- सामान्य सभा द्वारा संतोषजनक कार्य कराए जाने का अनुमोदन किए जाने के उपरान्त ही अल्पिका/रजबहा समिति अन्तिम भुगतान कर सकती है। अनुमोदन हेतु गोपनीय मतदान की व्यवस्था भी की जा सकती है। सामान्य सभा का अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में 30 प्रतिशत भुगतान की कटौती कर दी जाएगी तथा सक्षम नहर अधिकारी द्वारा इसकी सूचना निबन्धक को दी जाएगी। निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा–47 अथवा नियमावली के नियम–28 के अन्तर्गत प्रबन्धन समिति के विरुद्ध यथाआवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या कोरम हेतु निर्धारित सदस्यों की संख्या से कम होने पर सामान्य सभा निरस्त हो जाएगी;
- सामान्य सभा की बैठक में न्यूनतम दो बार कोरम पूर्ण न होने की स्थिति में निबन्धक की सहमति से अगली बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अन्तिम भुगतान पर कार्यवाही की जा सकती है।

(4) कटौतियां (टैक्स एवं अन्य):–समय–समय पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स/शुल्क यथा आयकर, व्यापार कर, रायल्टी आदि की कटौतियां की जाएंगी। सक्षम नहर अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पिका/रजबहा समितियों द्वारा यथा आवश्यक कटौतियां की जा रही हैं।

(5) कटौतियों को जमा किया जाना:–अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा की गयी कटौतियां सम्बन्धित मद में जमा की जाएंगी। यदि किसी कारण से अल्पिका/रजबहा समितियों द्वारा कटौतियां सम्बन्धित मद में नहीं जमा की जा पा रही हैं तो समिति द्वारा उतनी धनराशि विवरण सहित अधिशासी अभियन्ता को

उपलब्ध करा दी जाएगी। अधिशासी अभियन्ता द्वारा कटौतियां (समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई) अपने स्तर से सम्बन्धित मदों में जमा की जाएगी तथा जमा रसीद की छायाप्रति समिति को वापस की जाएगी।

(6) **पैन एवं टैन :–** प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति द्वारा नियमानुसार कटौतियों को जमा करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पैन एवं टैन सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना होगा। पैन बनवाने हेतु फार्म–49ए तथा टैन बनवाने के लिए फार्म–49बी में आवेदन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि0 (NSDL) संस्था से किया जाना होगा। पैन एवं टैन प्राप्त करने एवं अन्य यथाआवश्यक पंजीकरण कराने में अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की जाएगी।

(7) **शासकीय खाते से भुगतान (चेक निर्गत) किया जाना :–** शासकीय कोष से भुगतान करने हेतु अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समिति द्वारा किसी कार्य के सापेक्ष पारित किये हुए बिल एवं कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित चेक पर सक्षम नहर अधिकारी द्वारा निम्नवत् बिन्दुओं की जाँच के बाद प्रेषण की तिथि से अधिकतम 15 दिनों में हस्ताक्षर कर दिया जाएगा–

(i) कार्य के प्राक्कलन का प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है;

(ii) कार्य हेतु मस्टर रोल/कार्यादेश/अनुबन्ध किया गया है;

(iii) कार्य का सत्यापन तथा उसके मापन का निर्धारित न्यूनतम 10 प्रतिशत सत्यापन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा किया गया है;

(iv) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण पंजिका में कार्य की कमियों को ठीक करने के लिए दिये गये निर्देश का पालन किया गया है;

(v) बिल के भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि के आंकलन की जाँच कार्यालय द्वारा की गई है;

(vi) यथाआवश्यक कटौतियां की गई है;

(vii) अंतिम भुगतान की दशा में सामान्य सभा का कार्य के सन्तोषजनक होने का पारित प्रस्ताव उपलब्ध है।

नोट– (1) कार्य का सत्यापन तथा कार्य की माप का सत्यापन करने/कराने का दायित्व सक्षम नहर अधिकारी का होगा।

(2) सक्षम नहर अधिकारी के कार्यालय का यह दायित्व होगा कि उक्त प्रस्तर–79(7) में निर्धारित बिन्दुओं की जाँच कर सक्षम नहर अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु चेक उसे प्रस्तुत करे।

(8) समिति कोष से भुगतान (चेक निर्गत) किया जाना :–समिति कोष से भुगतान किए जाने की दशा में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

(i) सक्षम नहर अधिकारी से माप पुस्तिका का निर्धारित सत्यापन हो जाने के उपरान्त जल उपभोक्ता समिति द्वारा कार्यों का चालू भुगतान किया जा सकता है। भुगतान के पश्चात् बिल की सत्यापित छायाप्रति सक्षम नहर अधिकारी को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार अनुबन्ध की धनराशि का अधिकतम 70 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है;

(ii) अन्तिम भुगतान का बिल तैयार कर सक्षम नहर अधिकारी को इस आशय से उपलब्ध कराया जाएगा कि सक्षम नहर अधिकारी बीजक की संवीक्षा करेंगे तथा समस्त यथा आवश्यक कटौतियों की जाँच करेंगे। बीजक की संवीक्षा के पश्चात् यथा आवश्यक बीजक (संशोधन सहित) यथा आवश्यक दिशा–निर्देश के साथ जल उपभोक्ता समिति भुगतान हेतु वापस किया जाएगा;

(iii) उक्त प्रस्तर 79(8)(ii) के अनुसार सक्षम नहर अधिकारी से प्राप्त बीजक पर प्रस्तर 79(3) के अनुसार सामान्य सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा;

(iv) सामान्य सभा से अनुमोदन के पश्चात् जल उपभोक्ता समिति द्वारा अन्तिम भुगतान किया जा सकता है।

80. कार्यों का अनुश्रवण :–कार्यों का अनुश्रवण निम्नानुसार किया जाएगा :–

(1) कार्यों का अनुश्रवण अल्पिका/रजबहा समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा;

(2) अल्पिका/रजबहा के सम्बन्धित सक्षम नहर अधिकारी समय–समय पर क्षेत्रीय भ्रमण कर कार्यों का अनुश्रवण करेंगे;

(3) सम्बन्धित अवर अभियन्ता अल्पिका के सक्षम नहर अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्रीय भ्रमण कर कार्य का अनुश्रवण करेंगे;

(4) सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता रजबहा के सक्षम नहर अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्रीय भ्रमण कर कार्य का अनुश्रवण करेंगे।

81. कार्य की गुणवत्ता :–कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अल्पिका/रजबहा समिति एवं सक्षम नहर अधिकारी के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे:–

(1) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाएगा;

(2) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण यथा आवश्यक सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता से भी कराया जा सकता है। सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि सक्षम नहर अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण करेंगे तथा उसकी आख्या सक्षम नहर अधिकारी को देंगे;

(3) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का शत–प्रतिशत दायित्व निर्माण कार्य उप समिति/नियुक्त अभियन्ता एवं प्रबन्धन समिति तथा सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

(4) अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मानक/विशिष्टियाँ हिन्दी भाषा में निर्गत की जाएंगी। जल उपभोक्ता समितियाँ उक्त निर्गत दिशा–निर्देश तथा मानक/विशिष्टियाों के अनुसार कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी।

82. **कार्य का सत्यापन**–जल उपभोक्ता समितियों द्वारा कराए गए कार्यों का सत्यापन सक्षम नहर अधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के समय जल उपभोक्ता समिति की निर्माण उप समिति के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य तथा जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य की उपस्थिति में किया जाएगा। सत्यापन करने वाले अभियन्ता द्वारा सत्यापन आख्या सक्षम नहर अधिकारी को दी जाएगी। सत्यापन आख्या पर जल उपभोक्ता समिति के उक्त पदाधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी होंगे।

83. **विचलनः**–सक्षम अधिकारी द्वारा किसी कार्य की तकनीकी स्वीकृत के पश्चात् अनुबन्ध/कार्यादेश में किसी प्रकार के विचलन की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाएगीः–

(1) 5 प्रतिशत तक विचलन की स्वीकृतिः–अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा समिति के किसी स्वीकृत कार्य के अनुबन्ध की लागत के 5 प्रतिशत तक के विचलन हेतु स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) 5 से 15 प्रतिशत तक के विचलन की स्वीकृति :–

(i) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के स्वीकृत किसी कार्य के अनुबन्ध की लागत का 5 से 15 प्रतिशत तक का विचलन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(ii) रजबहा समिति के स्वीकृत किसी कार्य के अनुबन्ध की लागत का 5 से 15 प्रतिशत तक का विचलन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(3) 15 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक के विचलन की स्वीकृतिः–

(i) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के स्वीकृत किसी कार्य के अनुबन्ध की लागत का 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का विचलन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि सक्षम नहर अधिकारी द्वारा विचलन का स्थलीय सत्यापन किया गया हो। ऐसी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत कराया जाएगा।

(ii) रजबहा समिति के स्वीकृत किसी कार्य में अनुबन्ध की लागत के 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का विचलन सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है। परन्तु शर्त यह होगी कि सक्षम नहर अधिकारी द्वारा विचलन का स्थलीय सत्यापन किया गया हो।

84. समय विस्तारः–

(1) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के स्वीकृत किसी कार्य को पूर्ण करने में अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि अध्यक्ष, अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा प्रदान की जा सकती है। प्रबन्धन समिति द्वारा 50 प्रतिशत तक समय सीमा में की गई वृद्धि की सूचना सक्षम नहर अधिकारी को दी जाएगी। 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति एवं सक्षम नहर अधिकारी दोनों की सहमति से की जा सकती है।

(2) रजबहा समिति के स्वीकृत किसी कार्य को पूर्ण करने में अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि अध्यक्ष, रजबहा समिति द्वारा प्रदान की जा सकती है। प्रबन्धन समिति द्वारा 50 प्रतिशत तक समय सीमा में की गई वृद्धि की सूचना

सक्षम नहर अधिकारी को दी जाएगी। 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति एवं सक्षम नहर अधिकारी दोनों की सहमति से की जा सकती है।

(3) समय विस्तार स्वीकृत करते समय यह प्रतिबन्ध होगा कि अनुबन्ध की लागत में वृद्धि न हो।

85. अतिरिक्त कार्यः—रजबहा/अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अनुबन्ध के प्राक्कलन में सम्मिलित कार्यों से अतिरिक्त किसी कार्य को कराने की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाएगीः—

(1) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के किसी कार्य के अनुबन्ध की लागत का 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। 15 प्रतिशत से अधिक तथा 50 प्रतिशत तक के अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता द्वारा सक्षम नहर अधिकारी के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त प्रदान की जा सकती है।

(2) रजबहा समिति के किसी कार्य के अनुबन्ध की लागत का 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। 15 प्रतिशत से अधिक तथा 50 प्रतिशत तक के अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सक्षम नहर अधिकारी के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त प्रदान की जा सकती है।

(3) अतिरिक्त कार्य की अधिकतम दर/दरें वर्तमान दर/दरें होगी।

86. कार्य पंजिका :—सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति द्वारा कराए जाने वाले का कार्यों का विवरण **परिशिष्ट—48** के अनुसार कार्य पंजिका में अनुरक्षित किया जाएगा।

87. सामान्य उपबंध :—

(1) जल उपभोक्ता समितियों को नहर के क्रास सेक्शन तथा एल सेक्शन तथा सिंचाई प्रणाली के अभिकल्पित हैड्रोलिक संरचना से छेड़छाड़ करने की शक्ति नहीं होगी। इसके उल्लंघन से अधिनियम की धारा 33 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

(2) नहर का अनुरक्षण कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि नहर के टेल तक पानी पहुँच सके।

(3) जल उपभोक्ता समितियों की प्रबन्धन समिति द्वारा प्रत्येक तीन माह पर व्यय का अनुमोदन किया जाएगा।

(4) एक हजार रूपये से अधिक का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा।

(5) समिति के अध्यक्ष द्वारा भुगतान से सम्बन्धित यथा आवश्यक अभिलेखों की सत्यापित फोटो कॉपी सक्षम नहर अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित की जाएगी।

88. आकस्मिक कार्य कराए जाने की प्रक्रियाः– आकस्मिक कार्य कराये जाने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

(1) नहर चलने के दौरान हुई खांदी/टूट–फूट की मरम्मत तथा अवरोधों को तत्काल हटाने का कार्य अल्पिका/रजबहा समितियों द्वारा कराया जाएगा। इस कार्य पर आने वाले व्यय का वहन अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा किया जाएगा। खांदी/टूट–फूट की मरम्मत/अवरोध हटाने का कार्य प्रारम्भ करने की सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी को दी जाएगी। खांदी/टूट–फूट का विवरण आकस्मिक कार्य पंजिका (**परिशिष्ट–49**) में सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति तथा सक्षम नहर अधिकारी दोनों द्वारा अनुरक्षित रखा जाएगा तथा आकस्मिक कार्य पंजिका में अंकित विवरण का मिलान प्रत्येक माह किया जाएगा।

(2) आकस्मिक कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन प्रबंधन समिति द्वारा तथा तकनीकी अनुमोदन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा भुगतान से पूर्व किया जाएगा। प्राक्कलन में सम्मिलित किए जाने वाले कार्यों की दरें सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत अनुसूचित दरों से अधिक नहीं होंगी।

(3) आकस्मिक कार्य एवं उस पर व्यय का अनुमोदन प्रत्येक माह अल्पिका/रजबहा समिति की निर्माण कार्य उप–समिति द्वारा किया जाएगा। कार्य का अधिकतम 70 प्रतिशत भुगतान सम्बन्धित समिति द्वारा किया जा सकता है। अवशेष 30 प्रतिशत भुगतान सम्बन्धित समिति की सामान्य सभा के बहुमत के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(4) अल्पिका/रजबहा पर खांदी/टूट–फूट पर अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा मरम्मत कार्य न किए जाने की स्थिति में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कार्य करा लिया जाएगा एवं अल्पिका/रजबहा समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि अल्पिका/रजबहा समिति नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर सन्तोषजनक उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी दशा में सक्षम नहर अधिकारी

द्वारा अधिकतम 70 प्रतिशत का भुगतान सम्बन्धित समिति से कराया जाएगा। अवशेष 30 प्रतिशत का भुगतान सामान्य सभा के बहुमत के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जाएगा। समिति द्वारा भुगतान में अकारण बाधा डालने को अधिनियम का उल्लंधन मानते हुए सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा–33 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(5) आकस्मिक कार्य मस्टर रोल से कराये जाएगें विशेष परिस्थितिओं में कार्यादेश से भी कार्य कराया जा सकता है।

(6) आकस्मिक कार्य हेतु अल्पिका/रजबहा समितियाँ पीस वर्क अनुबन्ध भी कर सकती हैं। पीस वर्क अनुबन्ध के अन्तर्गत अल्पिका/रजबहा समितियों द्वारा आकस्मिक कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न कार्यों की दरों का अनुबन्ध किया जाएगा। पीस वर्क अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य कराए जाने के लिए सक्षम नहर अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध में कार्य की मात्रा एवं समय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पीस वर्क अनुबन्ध गठित करने में वह समस्त कार्यवाही की जाएगी जो किसी अनुबन्ध के गठन में की जाती है। पीस वर्क अनुबन्ध गठित करने में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा जल उपभोक्ता समिति को सहायता प्रदान की जाएगी।

89. सप्लाई आर्डर की प्रक्रियाः–

(1) जल उपभोक्ता समितियों द्वारा कुल रू0 1000 से अधिक मूल्य की सामग्री का क्रय सप्लाई आर्डर के माध्यम से किया जाएगा। सप्लाई आर्डर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :–

- अल्पिका समिति द्वारा सप्लाई आर्डर हेतु रु0 5000.00 तक के प्राक्कलन की स्वीकृति अल्पिका समिति के सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी तथा रु0 5000.00 से अधिक के प्राक्कलन की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाएगी।
- रजबहा समिति द्वारा सप्लाई आर्डर हेतु रु0 10000.00 तक के प्राक्कलन की स्वीकृति रजबहा समिति के सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी तथा रु0 10000.00 से अधिक के प्राक्कलन की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाएगी।

- अल्पिका समिति द्वारा रु0 5000.00 तक की सामग्री के क्रय हेतु सप्लाई आर्डर सक्षम नहर अधिकारी की सहमति से किया जा सकता है तथा रु0 5000.00 से अधिक का सप्लाई आर्डर अधिशासी अभियन्ता की सहमति से किया जा सकता है।
- रजबहा समिति द्वारा रु0 10000.00 तक की सामग्री के क्रय हेतु सप्लाई आर्डर सक्षम नहर अधिकारी की सहमति से किया जा सकता है तथा रु0 10000.00 से अधिक का सप्लाई आर्डर अधीक्षण अभियन्ता की सहमति से किया जा सकता है।
- सप्लाई आर्डर हेतु समिति के सचिव द्वारा न्यूनतम तीन लिफाफाबन्द कोटेशन प्राप्त किए जाएगें। प्राप्त कोटेशनों को जल उपभोक्ता समिति के सचिव, कोषाध्यक्ष तथा अध्यक्ष की समिति द्वारा खोला जाएगा एवं न्यूनतम कोटेशन देने वाली संस्था से सामग्री प्राप्त की जाएगी परन्तु शर्त यह होगी की संस्था वाणिज्य कर विभाग (सेल्स टैक्स) में पंजीकृत हो एवं दरें स्वीकृत प्राक्कलन की दरों से अधिक न हो।
- अल्पिका समिति द्वारा रू0 5000 से अधिक के सप्लाई आर्डर की स्वीकृति सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा दी जा सकती है तथा उसके प्राक्कलन की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दी जाएगी।
- रजबहा समिति द्वारा रू0 10000 से अधिक के सप्लाई आर्डर की स्वीकृति सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा दी जा सकती है तथा उसके प्राक्कलन की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दी जाएगी।

(2) जल उपभोक्ता समितियों द्वारा रू0 1000 से कम की सामग्री का क्रय सीधे बाजार से किया जा सकता है। इस प्रकार क्रय की गई सामग्री का भुगतान वाउचर के आधार पर किया जाएगा।

(3) जल उपभोक्ता समिति द्वारा रू0 1000 से अधिक की सामग्री का भुगतान सक्षम नहर अधिकारी एवं जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों द्वारा सामग्री के सत्यापन तथा उसके मापन के पश्चात् किया जा सकता है।

90. अधिनियम की धारा–16 (2) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा जल उपभोक्ता समिति की तरफ से सिविल कार्य कराने की प्रक्रियाः– सिविल कार्य से सम्बन्धित यदि कोई कार्य जल उपभोक्ता समिति द्वारा कराए जाने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो सिंचाई विभाग अधिनियम की धारा–16(2) के अन्तर्गत सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति की तरफ से उनके संतोषानुरूप कार्य करा सकता है। कार्य कराने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(1) कार्य कराने का प्रस्तावः–सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के बहुमत द्वारा सिविल कार्य कराने में असमर्थता के कारण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराए जाने का प्रस्ताव **परिशिष्ट–50** के अनुसार पारित कर सक्षम नहर अधिकारी को दिया जाएगा। प्रस्ताव के साथ यथास्थित वाक–थ्रू/अन्य आधार पर कराए जाने वाले कार्यों का विवरण भी संलग्न होगा।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा कार्य करानाः–जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के पश्चात् सिंचाई विभाग द्वारा कार्य से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन वित्तीय हस्त–पुस्तिका, आई0एम0ओ0 (Irrigation Manual of Orders) एवं तत्समय प्रभावी अन्य आदेशों एवं निर्देशों के अन्तर्गत किया जाएगा।

(3) कार्य का अनुश्रवण एवं सत्यापनः–सिंचाई विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण एवं सत्यापन निम्नानुसार किया जाएगा–

(क) अनुश्रवणः–सिंचाई विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण सिंचाई विभाग के साथ–साथ सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति की निर्माण कार्य उप समिति/प्रबन्धन समिति द्वारा भी किया जाएगा। निर्माण कार्य उप समिति/प्रबन्धन समिति द्वारा अनुश्रवण के दौरान पाई गई त्रुटियों का संज्ञान सक्षम नहर अधिकारी को कराया जाएगा। सम्बन्धित सक्षम नहर अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रबन्धन समिति द्वारा इंगित त्रुटियों का समाधान ठेकेदार से कराए।

(ख) सत्यापनः–कार्यों के सत्यापन हेतु सम्बन्धित सक्षम नहर अधिकारी, सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य तथा निर्माण कार्य उप समिति के अध्यक्ष की एक सत्यापन समिति होगी। सत्यापन समिति द्वारा चालू भुगतान से पूर्व निष्पादित कार्य का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त ही चालू भुगतान किया जाएगा। चालू भुगतान के माध्यम से अनुबन्धित धनराशि का अधिकतम 70 प्रतिशत भुगतान ही किया जा सकता है।

(4) **अन्तिम भुगतानः**—कार्य की समाप्ति पर अवशेष 30 प्रतिशत भुगतान (अन्तिम भुगतान) करने से पूर्व सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा के बहुमत से कार्य के सन्तोषजनक होने का प्रस्ताव **परिशिष्ट–47क** पर पारित कराया जाएगा। प्रस्ताव पारित कराने का दायित्व सत्यापन समिति का होगा। सामान्य सभा द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव के पश्चात् ही अन्तिम भुगतान किया जा सकता है। सामान्य सभा द्वारा प्रस्ताव खारिज किए जाने की दशा में अवशेष 30 प्रतिशत भुगतान की कटौती की जाएगी एवं कराये गये कार्यो की जाँच कराई जाएगी एवं तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(5) **धन का हस्तान्तरणः**—जल उपभोक्ता समिति द्वारा कार्य पर सम्भावित व्यय हेतु धन अधिशासी अभियन्ता के खाते में जमा कराई जाएगी। यदि किसी कार्य पर धन का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त आवंटित धन जल उपभोक्ता समिति के खाते में हस्तान्तरित नहीं किया गया है तो अधिशासी अभियन्ता राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि से प्रस्तावित कार्य पर सम्भावित धनराशि अपने खाते में हस्तान्तरित करेंगे।